

प्रेषक,

अजीत कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2022

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु वेतन मद में स्वीकृति (प्रथम किस्त)।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-808/दि0स0वि0/डा0श0मि0रा0पु0वि0/वजट अवमुक्त/2022-23 दिनांक 19.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु वेतन मद के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 700.00 लाख (रूपये सात करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।
- (3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। स्वीकृति के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

2. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-30-डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजीत कुमार)  
विशेष सचिव।

तदसंख्या/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, लेखा-परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- कुलसचिव/वित्त अधिकारी, डा 0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
- 7- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अजीत कुमार  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

अजीत कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०,

लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-01/वि०क०/लेखा/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये निम्नानुसार मदवार/योजनावार बजट प्रावधान के सापेक्ष लेखानुदान के दृष्टिगत एक तिहाई (4/12वां) भाग के रूप में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू० 29286.81 लाख (रूपये दो अरब बानबे करोड़ छियासी लाख इक्यासी हजार मात्र) तथा अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू० 0.67 लाख (रूपये सड़सठ हजार मात्र) और अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू० 380.00 लाख (रूपये तीन करोड़ अस्सी लाख मात्र) की धनराशि (कॉलम-4 में) व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

अनुदान संख्या-79

(धनराशि रू० लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	बजट प्रावधान 2022-23	लेखानुदान के दृष्टिगत एक तिहाई (4/12वां भाग) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान(2235 02 101 03 00)		
	01-वेतन	1604.66	534.89
	02-मजदूरी	50.00	16.67
	03-मँहगाई भत्ता	593.72	197.91

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	04-यात्रा व्यय	11.00	3.67
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.00	2.00
	06-अन्य भत्ते	5.51	1.84
	07-मानदेय	0.20	0.07
	08-कार्यालय व्यय	40.00	13.33
	09-विद्युत देय	55.00	18.33
	10-जलकर/जलप्रभार	1.00	0.33
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25.00	8.33
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.00	6.67
	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00	3.33
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	175.00	58.33
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	8.00	2.67
	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	20.00	6.67
	18-प्रकाशन	2.00	0.67
	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00	0.33
	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.80	0.27
	29-अनुरक्षण	2.00	0.67
	42-अन्य व्यय	3.00	1.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.33
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	0.33
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00	5.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	25.00	8.33
	49-चिकित्सा व्यय	25.00	8.33
	51-वर्दी व्यय	0.50	0.17
	55-मकान किराया भत्ता	116.02	38.67
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	210.00	70.00
	<b>योग 03</b>	<b>3027.41</b>	<b>1009.14</b>
2	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-04-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिये आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00)		
	01-वेतन	126.53	42.18

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	02-मजदूरी	1.60	0.53
	03-मेंहगाई भत्ता	46.82	15.61
	04-यात्रा व्यय	0.35	0.12
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.17
	06-अन्य भत्ते	2.31	0.77
	07-मानदेय	1.00	0.33
	08-कार्यालय व्यय	1.25	0.42
	09-विद्युत देय	3.00	1.00
	10-जलकर/जल प्रभार	0.10	0.03
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	0.33
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.25	0.42
	13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.33
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.10	0.03
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	7.00	2.33
	29-अनुरक्षण	10.00	3.33
	39-औषधि तथा रसायन	0.70	0.23
	41-भोजन व्यय	5.00	1.67
	42-अन्य व्यय	2.00	0.67
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	7.00	2.33
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.20	0.07
	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.17
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	0.50
	49-चिकित्सा व्यय	1.50	0.50
	51-वर्दी व्यय	0.08	0.03
	55-मकान किराया भत्ता	9.26	3.09
	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	0.67
	<b>योग 04</b>	<b>233.55</b>	<b>77.86</b>
3	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यन्त्र आदि खरीदने के लिये सहायता (2235 02 101 05 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3500.00	1166.67

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

4	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 06 00)		
	01-वेतन	4.12	1.37
	02-मजदूरी	0.01	0.00
	03-मंहगाई भत्ता	1.52	0.51
	04-यात्रा व्यय	0.15	0.05
	06-अन्य भत्ते	0.01	0.00
	08-कार्यालय व्यय	2.00	0.67
	09-विद्युत देय	8.00	2.67
	10-जलकर/जल प्रभार	1.00	0.33
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.60	0.20
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	2.00
	39-औषधि तथा रसायन	3.00	1.00
	41-भोजन व्यय	30.00	10.00
	42-अन्य व्यय	3.00	1.00
	43-सामग्री एवं सम्पूति	8.00	2.67
	55-मकान किराया भत्ता	0.01	0.00
	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	85.00	28.33
	<b>योग 06</b>	<b>152.42</b>	<b>50.80</b>
5	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-07-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (2235 02 101 07 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	67600.00	22533.33
6	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-08-दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार (2235 02 101 08 00)		
	04-यात्रा व्यय	0.50	0.17
	42-अन्य व्यय	12.00	4.00
	<b>योग 08</b>	<b>12.50</b>	<b>4.17</b>
7	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग		

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	व्यक्तियों का कल्याण-09-विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ०प्र० राज्य परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति (2235 02 101 09 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2000.00	666.67
8	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-10-विकलांगों को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति (2235 02 101 10 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2000.00	666.67
9	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-12-डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण (2235 02 101 12 00)		
	42-अन्य व्यय	20.00	6.67
10	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-13-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना (2235 02 101 13 00)		
	42-अन्य व्यय	26.51	8.84
11	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-14-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन (2235 02 101 14 00)		
	01-वेतन	1672.79	557.60
	02-मजदूरी	22.00	7.33
	03-महँगाई भत्ता	618.93	206.31
	04-यात्रा व्यय	2.75	0.92
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	0.67
	06-अन्य भत्ते	29.73	9.91
	07-मानदेय	5.00	1.67
	08-कार्यालय व्यय	18.00	6.00
	09-विद्युत देय	100.00	33.33
	10-जलकर/जल प्रभार	2.70	0.90
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.50	1.50
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	45.00	15.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	5.00	1.67

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.00	3.00
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.50	0.50
	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	2.15	0.72
	18-प्रकाशन	1.15	0.38
	21-छात्रवृत्तियों और छात्र वेतन	200.00	66.67
	29-अनुरक्षण	200.00	66.67
	39-औषधि तथा रसायन	2.90	0.97
	42-अन्य व्यय	10.00	3.33
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	25.00	8.33
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.33
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.55	0.52
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	45.00	15.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00	2.00
	49-चिकित्सा व्यय	6.00	2.00
	51-वर्दी व्यय	0.20	0.07
	55-मकान किराया भत्ता	98.00	32.67
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	240.00	80.00
	योग 14	3377.85	1125.97
12	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-16-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन(2235 02 101 16 00)		
	01-वेतन	265.22	88.41
	02-मजदूरी	6.00	2.00
	03-महँगाई भत्ता	98.13	32.71
	04-यात्रा व्यय	1.05	0.35
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10	0.03
	06-अन्य भत्ते	8.91	2.97
	07-मानदेय	1.50	0.50
	08-कार्यालय व्यय	10.00	3.33
	09-विद्युत देय	50.00	16.67
	10-जलकर/जल प्रभार	1.35	0.45
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.50	0.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।



	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	22.50	7.50
	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.00
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	10.00
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	0.75	0.25
	18-प्रकाशन	0.40	0.13
	39-औषधि तथा रसायन	1.02	0.34
	42-अन्य व्यय	4.90	1.63
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	12.25	4.08
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.35	0.12
	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.03
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.75	5.25
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.45	0.82
	49-चिकित्सा व्यय	2.10	0.70
	51-वर्दी व्यय	0.07	0.02
	55-मकान किराया भत्ता	25.00	8.33
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	82.25	27.42
	<b>योग 16</b>	<b>647.65</b>	<b>215.87</b>
13	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-17-राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 17 00)		
	42-अन्य व्यय	4.00	1.33
14	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-19-"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना (2235 02 101 19 00)		
	42-अन्य व्यय	10.00	3.33
15	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-22-लखनऊ में ब्रेल प्रेस की स्थापना (2235 02 101 22 00)		
	01-वेतन	1.65	0.55
	03-मँहगाई भत्ता	0.61	0.20
	06-अन्य भत्ते	0.02	0.01

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	08-कार्यालय व्यय	0.75	0.25
	09-विद्युत देय	3.00	1.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.00	2.67
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.50	0.17
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3.00	1.00
	42-अन्य व्यय	2.00	0.67
	55-मकान किराया भत्ता	0.30	0.10
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.40	1.13
	<b>योग 22</b>	<b>23.23</b>	<b>7.75</b>
16	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-25-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)		
	04-यात्रा व्यय	0.20	0.07
	07-मानदेय	20.00	6.67
	08-कार्यालय व्यय	0.90	0.30
	09-विद्युत देय	1.25	0.42
	10-जलकर/जल प्रभार	0.04	0.01
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50	0.17
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0.33
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.30	0.10
	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	3.60	1.20
	42-अन्य व्यय	0.47	0.16
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.75	0.58
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.17
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.35	0.12
	<b>योग 25</b>	<b>30.86</b>	<b>10.30</b>
17	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-26-अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)		
	04-यात्रा व्यय	0.01	0.00
	07-मानदेय	1.00	0.33
	09-विद्युत देय	4.00	1.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शारानादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	10-जलकर/जल प्रभार	0.10	0.03
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	0.50
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00	0.67
	21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	5.00	1.67
	29-अनुरक्षण	3.00	1.00
	42-अन्य व्यय	0.50	0.17
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.00	0.33
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.17
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	8.33
	<b>योग 26</b>	<b>43.61</b>	<b>14.53</b>
18	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-27-मानसिक मंदित बच्चों/विकलांग जन हेतु मनोविकास केन्द्र (2235 02 101 27 00)		
	04-यात्रा व्यय	0.30	0.10
	07-मानदेय	0.10	0.03
	08-कार्यालय व्यय	0.30	0.10
	09-विद्युत देय	0.75	0.25
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30	0.10
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.15	0.05
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.01	0.00
	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.01	0.00
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	4.00	1.33
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.75	0.25
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.17
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.00	8.33
	<b>योग 27</b>	<b>32.17</b>	<b>10.71</b>
19	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-31-बचपन, नर्सरी स्कूलों का संचालन (2235 02 101 31 00)		
	09-विद्युत देय	6.77	2.26
	39-औषधि तथा रसायन	1.00	0.33
	41-भोजन व्यय	49.50	16.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	42-अन्य व्यय	810.00	270.00
	<b>योग 31</b>	<b>867.27</b>	<b>289.09</b>
20	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-32-कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान (2235 02 101 32 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3900.00	1300.00
21	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-34-विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा (2235 02 101 34 00)		
	42-अन्य व्यय	85.00	28.33
22	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-37-दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक से संबंधित व्यय हेतु (2235 02 101 37 00)		
	42-अन्य व्यय	2.35	0.78
23	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-03 शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार (2235 02 800 03 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	264.00	88.00
	<b>अनुदान संख्या-79 का योग</b>	<b>87860.38</b>	<b>29286.81</b>

(रूपये दो अरब बानबे करोड़ छियासी लाख इक्यासी हजार मात्र)

**अनुदान संख्या-81**

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	बजट प्रावधान 2022-23	लेखानुदान के दृष्टिगत एक तिहाई (4/12वां भाग) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-05-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 796 05 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	2.00	0.67
	<b>अनुदान संख्या-81 योग</b>	<b>2.00</b>	<b>0.67</b>

(रूपये सड़सठ हजार मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या-83

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.सं.	मद का नाम	बजट प्रावधान 2022-23	लेखानुदान के दृष्टिगत एक तिहाई (4/12वां भाग) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 789 03 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	900.00	300.00
2	लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-08-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता (2235 02 789 08 00)		
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	240.00	80.00
	अनुदान संख्या-83 का योग	1140.00	380.00

(रूपये तीन करोड़ अस्सी लाख मात्र)

2. शर्तें / प्रतिबन्ध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
- (2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवयकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
- (3) प्रश्रुगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- (4) योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्ययकिये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मित्व्ययिता संबंधी शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 369 एच के अनुसार शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध करा दी जाये।
- (7) उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेगें और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(8) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यावाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार निर्गत की जा रही स्वीकृतियों के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
अजीत कुमार,  
विशेष सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
अजीत कुमार,  
विशेष सचिव।